संसदीय राजभाषा समिति की पृष्ठभूमि, गठन और सदस्यता

संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा अधिनियम, 1963 में की गई व्यवस्था के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई। उक्त अधिनियम संघ केराजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी को अपनाने संबंधी संविधान के परिकल्पित पंद्रह वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी, 1965 के पश्चात अपनाई जाने वाली संघ की राजभाषा नीति का निर्धारण करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम की धारा 4 (1) में व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रवृत्त होने की तारीख (अर्थात 26 जनवरी, 1965) के दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा समिति गठित की जाएगी। तदनुसार जनवरी, 1976 से संसदीय राजभाषा समिति का गठन अधिनियम के उपबंधो के अनुसार किया गया। समिति को सौपे गए कर्तव्य हैं - संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करना और उस पर सिफ़ारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करना। तदुपरान्त, राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे तथा सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे।

अपने कार्य को सुचारु रूप से निष्पादित करने और उसे सही दिशा प्रदान करते हुए प्रतिवेदन देते समय समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह राजभाषा के संबंध में संविधान के उपबंधों, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों, राजभाषा के संबंध में गठित खेर आयोग तथा पंत समिति की सिफ़ारिशें, राजभाषा अधिनियम तथा नियमों और संसद द्वारा पारित संकल्प आदि के बारे में भी एक संक्षिप्त विवेचन कर लें।

जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके

किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा। परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

समिति को सौंपे गए कार्य

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

समिति की कार्यविधि, अध्यक्ष (गृह मंत्री) तथा अन्य सदस्य

वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन होने पर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संयुक्त रूप से तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता का पहला अध्यक्ष नामित किया। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार, 1957 में भी गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ही थे। दि□नांक 04.03.1976 की बैठक में समिति द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और कार्यसंचालन के नियमों को अपनाया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर परंपरा के अनुसार भारत के गृह मंत्री (क्रमश: श्री चरण सिंह, श्री एच.एम. पटेल, श्री जैल सिंह, श्री प्रकाश चन्द सेठी, श्री बूटा सिंह, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, श्री एस.बी. चव्हाण, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री लाल कृष्ण आडवानी, श्री शिवराज वी. पाटिल, श्री पी. चिदम्बरम और श्री सुशील कुमार शिंदे) को समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वर्तमान में 08.09.2014 से माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं।

इसके अतिरिक्त, समिति के अध्यक्षों ने संसदीय राजभाषा समिति की कार्यविधि एवं संचालन नियमावली के अनुसार समिति के उपाध्यक्ष का भार संभालने के लिए समय-समय पर श्री ओम मेहता, श्री चिरंजी लाल शर्मा, श्री श्रीकांत वर्मा, डा. रूद्र प्रताप सिंह, श्रीमती वीणा वर्मा, श्री शंकर दयाल सिंह, श्री नाथू राम मिर्धा, प्रो. राम देव भंडारी, श्री वेणु गोपालाचारी, डा. वाई लक्ष्मी प्रसाद, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्रीमती सरला माहेश्वरी, श्री जय प्रकाश, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और डॉ निर्मल खत्री को नामित किया। समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष डा. सत्यनारायण जटिया हैं। समिति के गठन से लेकर आज तक के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का कार्यकाल इस प्रकार है :-

अध्यक्ष

क्रमं. सं.	नाम	कार्यकाल की अवधि	
		से	तक
1	श्री ओम मेहता	19.02.1976	03.09.1977
2	श्री चरण सिंह	03.09.1977	23.02.1979
3	श्री एच.एम. पटेल	20.04.1979	22.08.1979
4	श्री जैल सिंह	07.04.1980	22.07.1982
5	श्री पी.सी. सेठी	21.12.1982	21.07.1984
6	श्री एस.बी. चव्हाण	05.06.1985	12.03.1986
7	श्री बूटा सिंह	29.05.1986	27.11.1989
8	श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	26.04.1990	12.12.1990
9	श्री एस.बी. चव्हाण	20.08.1992	02.04.1996
10	श्री इन्द्रजीत गुप्त	30.08.1996	28.11.1997
11	श्री लाल कृष्ण आडवानी	28.08.1998	26.04.1999
12	श्री लाल कृष्ण आडवानी	28.04.2000	06.02.2004
13	श्री शिवराज वि.पाटील	13.08.2004	30.11.2008
14	श्री जय प्रकाश(कार्यवाहक)	10.12.2008	18.05.2009
15	श्री पी.चिदम्बरम	26.08.2009	28.10.2012
16	श्री सुशील कुमार शिंदे	11.06.2013	18.05.2014
17	श्री राजनाथ सिंह	08.09.2014	24.05.2019
18	श्री अमित शाह	14.09.2019	अब तक

उपाध्यक्ष

क्रमं. सं.	नाम	कार्यकाल की अवधि	
		से	तक
1	श्री ओम मेहता	06.12.1977	02.04.1982
2	श्री चिरंजी लाला शर्मा	04.05.1983	31.12.1984
3	श्री श्रीकांत वर्मा	05.06.1985	25.05.1986
4	डॉ. रूद्र प्रताप सिंह	29.08.1986	28.06.1992

5	श्रीमती वीणा वर्मा	02.07.1992	02.04.1994
6	श्री शंकर दयाल सिंह	07.06.1994	26.11.1995
7	श्री नाथू राम मिर्धा	02.01.1996	02.04.1996
8	प्रो. रामदेव भंडारी	30.08.1996	07.07.1998
9	डॉ. एस वेणुगोपालाचारी	30.09.1998	26.04.1999
10	डॉ. वाई लक्ष्मी प्रसाद	28.04.2000	09.04.2002
11	डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	11.04.2002	06.02.2004
12	श्रीमती सरला माहेश्वरी	23.08.2004	18.08.2005
13	प्रो. रामदेव भंडारी	19.08.2005	09.04.2008
14	श्री जय प्रकाश	23.04.2008	18.05.2009
15	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	18.09.2009	02.04.2012
16	डॉ. निर्मल खत्री	31.05.2012	18.05.2014
17	डॉ. सत्यनारायण जटिया	30.10.2014	24.05.2019
18	श्री भर्तृहरी महताब	14.09.2019	अब तक

इनके अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी पूर्व में इस समिति के सदस्य रहे हैं, जिनमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 28.04.88 से 19.6.91 तक समिति के माननीय सदस्य रहे हैं तथा समिति के विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय डा. विष्णु कान्त शास्त्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डा. सी.नारायण रेड्डी और पद्मभूषण तथा पद्मश्री श्री विद्या निवास मिश्र संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य रह चुके हैं। पद्मभूषण से सम्मानित श्री हुक्मदेव नारायण यादव भी समिति के माननीय सदस्य रह चुके हैं।

निरीक्षण कार्य के लिए संसदीय राजभाषा समिति की तीन उपसमितियां हैं। ये विभिन्नमंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदिमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती हैं। तीनों उप समितियों के संयोजक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त एक आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति भी गठित है। समिति के उपाध्यक्ष इस उप समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें तीनों उप समितियों के संयोजक सदस्य होते हैं। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष तीनों उप समितियों में से एक-एक सदस्य को आलेख एवं साक्ष्य उप समिति में नामित करते हैं। राजभाषा विभाग के सचिव भी इस समिति के स्थाई सदस्य होते हैं।

आलेख एवं साक्ष्य उप समिति संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारक उप समिति है। यह उप समिति संसदीय राजभाषा समिति के साक्ष्य कार्यक्रम प्रस्तावित करती है: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साथ विचार-विमर्श करती है और महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है।

वर्तमान सदस्यता

वर्तमान में दिनांक 14.09.2019 से **श्री भर्तृहरी महताब**, लोक सभा सांसद, कटक (ओडिशा) संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष है तथा तीनों उपसमितियों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

पहली उप-समिति के संयोजक एवं सदस्यगण			
क्रम सं.	**नाम**	**लोक सभा/राज्य सभा**	**दल**
1.	**प्रो. राम गोपाल यादव, संयोजक**	राज्य सभा	एसपी
2.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	लोक सभा	शिव सेना
3.	डॉ. सुभाष चंद्र	राज्य सभा	निर्दलीय
4.	श्री धर्मेन्द्र कश्यप	लोक सभा	भाजपा
5.	श्री हरनाथ सिंह यादव	राज्य सभा	भाजपा
6.	श्री एस. मुनिस्वामी	लोक सभा	भाजपा
7.	श्री रामस्वरूप शर्मा	लोक सभा	भाजपा
8.	श्री अशोक कुमार यादव	लोक सभा	भाजपा
9.	श्री श्याम सिंह यादव	लोक सभा	बीएसपी
10.	डॉ. आर.लक्ष्मणन*	राज्य सभा	ए.आई.डी.एम.के.

***दिनांक 25.07.2019 को राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त, रिक्ति की पूर्ति नियमानुसार बाद में की जाएगी।**

दूसरी उप-समिति के संयोजक एवं सदस्यगण			
क्रम सं.	**नाम**	**लोक सभा/राज्य सभा**	**दल**

1.	**प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, संयोजक**	लोक सभा	भाजपा
2.	श्री प्रदीप टम्टा	राज्य सभा	कांग्रेस
3.	श्री सुशील कुमार गुप्ता	राज्य सभा	आप
4.	श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट	लोक सभा	भाजपा
5.	श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	लोक सभा	भाजपा
6.	श्री किंजरापु राम मोहन नायडू	लोक सभा	टीडीपी
7.	श्री बालूभाऊ धानोरकर *उर्फ* सुरेश नारायण	लोक सभा	कांग्रेस
8.	श्री मनोज तिवारी	लोक सभा	भाजपा
9.	श्री दुर्गा दास उईके	लोक सभा	भाजपा

तीसरी उप-समिति के संयोजक एवं सदस्यगण			
क्रम सं.	**नाम**	**लोक सभा/राज्य सभा**	**दल**
1.	**श्री चिराग पासवान, संयोजक**	लोक सभा	एल.जे.पी.
2.	डॉ. सत्यनारायण जटिया	राज्य सभा	भाजपा
3.	डॉ. मनोज राजोरिया	लोक सभा	भाजपा
4.	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह	राज्य सभा	जेडी(यू)
5.	श्रीमती कान्ता कर्दम	राज्य सभा	भाजपा
6.	डॉ. अमी याज्ञिक	राज्य सभा	कांग्रेस
7.	श्री प्रतापराव जाधव	लोक सभा	शिव सेना
8.	श्री बसंत कुमार पांडा	लोक सभा	भाजपा
9.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	लोक सभा	जेडी(यू)

आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति

साक्ष्य एवं आलेख उपसमिति द्वारा निर्धारित प्रश्नावलियों के लिखित उत्तरों के माध्यम से जनता तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सूचना/विचार प्राप्त करने के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकर विचारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता भी महसूस की गई तथा दिनांक 7 अप्रैल, 1980 को यह निर्णय लिया गया कि निरीक्षण के प्रयोजन के लिए गठित तीनों उपसमितियों के संयोजकों की एक साक्ष्य उपसमिति बनाई जाए जो साक्षियों द्वारा उत्तर देने संबंधी प्रश्नावली, आमंत्रित किए जाने वाले साक्षियों की सूची, साक्ष्य के स्थान संबंधी सभी प्रकार की प्रारम्भिक तैयारी के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई संबंधी निर्णय ले और तदनुसार इसकी सूचना समिति को दे। समिति की 7 अप्रैल, 1980 को हुई बैठक में लिए गए उक्त निर्णय के क्रम में 10 अप्रैल, 1981 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तीनों संयोजकों कि उपसमिति को विचारार्थ विषय के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को दिए जाने वाले प्रतिवेदन की विषयवस्तु को तैयार करने के संबंध में भी विचार करना चाहिए। वर्तमान में आलेख एवं साक्ष्य समिति का स्वरुप इस प्रकार है :-

आलेख और साक्ष्य उप-समिति की सूची अध्यक्ष, श्री भर्तृहरी महताब			
क्रम सं.	**नाम**	**लोक सभा/राज्य सभा**	**दल**
1.	प्रो. राम गोपाल यादव	राज्य सभा	एस.पी.
2.	प्रो. रीता बहुगुणा जोशी	लोक सभा	भाजपा
3.	श्री चिराग पासवान	लोक सभा	एल.जे.पी.
4.	डॉ. सत्यनारायण जटिया	राज्य सभा	भाजपा
5.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	लोक सभा	शिव सेना
6.	श्री प्रदीप टम्टा	राज्य सभा	कांग्रेस
7.	सचिव(राजभाषा)-विशेष आमंत्रित		

निरीक्षण संबंधी उप-समितियों के कार्य

समिति की पहली बैठक में ही विभिन्न विभागों/उपक्रमों/कार्यालयों आदि में मौके पर जाकर निरीक्षण करने और हिन्दी के प्रयोग संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए तीन उपसमितियों के गठन का निर्णय लिया गया था।संघ का शासकीय कार्य राजभाषा हिन्दी में निष्पादित करने के

लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संघ के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समूचे देश में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के निरीक्षणों के माध्यम से समीक्षा करना और अपनी सिफ़ारिश करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एक अभीष्ट कार्य है। समिति इस कार्य से जहां एक ओर समूचे देश में केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का जायजा लेती है वहीं दूसरी ओर महामहिम राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भारत देश में हिंदी को राजभाषा का अपेक्षित अधिकार दिलाने में होने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करती है।

किसी भी नीति के सफल कार्यान्वयन में अन्य पक्षों के साथ-साथ निरीक्षण व्यवस्था एक अहम भूमिका का निर्वाह करती है। ये निरीक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास नहीं हुआ करते वरन ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में वे पड़ाव हैं जहां पर बैठकर हम चिंतन-मनन करते हैं और अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए भावी कार्यनीति तैयार करते हैं।

****